

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
काँफी बोर्ड कारोड मैप

1274. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2023-24 के लिए कुल काँफी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा क्या है;
- (ख) अगले दस वर्षों के लिए काँफी के विकास के लिए काँफी बोर्ड के रोड मैप का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या काँफी की फसल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आती है; और
- (घ) क्या सरकार काँफी उत्पादकों के हित में काँफी के साथ चिकोरी का तीस प्रतिशत मिश्रण करने के लिए विनियमन ला रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

- (क): वर्ष 2023-24 के लिए काँफी उत्पादन 3,60,500 टन था और वर्ष 2024-25 के लिए काँफी उत्पादन (अंतिम) 3,63,300 टन होने का अनुमान है।
- (ख): काँफी बोर्ड देश में काँफी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए एकीकृत काँफी विकास परियोजना (आईसीडीपी) योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में उत्पादित काँफी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पुनः रोपण, गुणवत्ता उन्नयन, जल संवर्धन, क्षेत्र विस्तार और समेकन शामिल हैं। इस योजना के तहत, काँफी बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय काँफी को बढ़ावा देता है और उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित काँफी निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता है।
- (ग): जी नहीं।
- (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के विनियमन 2.10.4 के तहत "काँफी-चिकोरी मिश्रण" के लिए मानक निर्धारित किए हैं। मानकों के अनुसार, मिश्रण में काँफी की मात्रा परिमाण के हिसाब से 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
